संख्या-26/2016-733 /चौदह-4-2016-500(18)/2012टीसी

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ दिनांक, 30 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में अनुदान संख्या-60-वन विभाग केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित आयोजनागत योजना "इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फलेक्सी फंड हेतु अनुमोदित धनराशि के उपयोग हेतु राज्य स्तरीय समिति (एस0एल0एस0सी0) से अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष रू0 26.02 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-1089/36-टी-3।। दिनांक 02.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्य–60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-3-20/2007-एफ0पी0डी0(पीटी), दिनांक 18.08.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये कुल रू0 325.80 लाख (162.90 लाख तथा केन्द्रांश रू0 162.90 लाख) की कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें अनुमोदित कार्यों तथा कन्टीजेंसी हेतु रू0 293.22 एवं फलेक्सी फंड हेतु रू0 32.58 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा फलेक्सी फंड हेतु अवमुक्त केन्द्रीय सहायता रू0 26.02 लाख (राज्यांश रू0 10.41 लाख तथा केन्द्रांश रू0 15.61लाख) के विरूद्ध योजनान्तर्गत उपलबध आय-व्ययक रू0 21.74 लाख(रू0 इक्कीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) तथा वित्त विभाग के आदेश सं0-ई-757 दिनांक 30 मार्च, 2016 से स्वीकृत तथा पुनर्विनियोजित आदेश सं0-733ए/14-4-2016-500(18)/2012टीसी दिनांक 30 मार्च, 2016 (प्रतिलिपि संलग्न) से पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 4.28 लाख (रू0 चार लाख अटठाइस हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 26.02 लाख (छब्बीस लाख दो हजार मात्र) राज्य स्तरीय समिति (एस0एल0एस0सी0) से अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष निम्नलिखित लेखाशीषर्कों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या-60	
पूँजीलेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी	
800-अन्य व्यय-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0111-इन्टेन्सीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट-	
24-वृहत निर्माण कार्य	**2602**
	2602

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयीं मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- इस धनराशि का उपयोग शासन के पत्र सं0-590/14-4-2016-500(51)/2014दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक की जारी कार्य वृत्त में अनुमोदित कार्यो पर किया जाय।

4- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

6- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

7- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

3/-

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक, 30 मार्च, 2015में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-733 (1)/चौदह-4-2016-500(18)/2012टीसी तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोपति

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in